इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020—माघ 3, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1305-17-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०२०

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा ४ का स्थापन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ८ का संशोधन.
७. धारा १७ का संशोधन.
८. धारा २३ का संशोधन.
९. धारा २५ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०२०

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक २१ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "उद्‌वहन सिंचाई द्वारा," के पश्चात्, शब्द "या दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली द्वारा" अन्त:स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ङ) में, उपखण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(चार) दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली वितरण केन्द्र से संबंधित समस्त संरचनाएं और उपसाधन;";

(तीन) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(ण क) "दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, एक सिंचाई प्रणाली जिसमें पाइप प्रणाली के माध्यम से जल को दबावयुक्त तथा सुनिश्चित रूप से पौधों तक पहुंचाया जाता है;

(ण ख) "दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली वितरण केन्द्र" से अभिप्रेत है, कोई सिविल या यांत्रिक संरचना जहां से किसी विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल का वितरण नियंत्रित किया जाता है;".

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में, शब्द "जलीय आधार पर" के पश्चात्, शब्द "या दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली की दशा में वितरण केन्द्र के आधार पर" अन्त:स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति.

"४. (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक अध्यक्ष तथा एक सदस्य से मिलकर बनेगी.

(२) कलक्टर, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, व्यवस्था कराएगा.

(३) कलक्टर, प्रबंध समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, व्यवस्था करेगा.

(४) यदि उपधारा (२) तथा (३) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सके हों तो नया निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कराया जाएगा.

(५) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति, सदस्य के रूप में एक महिला को सहयोजित कर सकेगी जो कि साधारणत: कृषक संगठन क्षेत्र की निवासी होगी.

(६) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य यदि पूर्व में उन्हें वापस नहीं बुलाया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद पर रहेंगे:

परन्तु प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि का अवसान होने पर एक नई प्रबंध समिति गठित नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि में वृद्धि, ऐसी वृद्धि का कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसे अवसान की तारीख से छह मास की और कालावधि के लिए कर सकेगी.

(७) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी.

(८) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए, पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति को विघटित कर सकेगी और नया निर्वाचन ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.''.

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (६) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

''(७) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति, धारा ४ की उपधारा (८) के अधीन पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व विघटित की जाती है, तो उस दशा में, वितरक समिति की प्रबंध समिति स्वत: विघटित हुई समझी जाएगी.''.

धारा ८ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

''(६) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति, धारा ४ की उपधारा (८) के अधीन पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व विघटित की जाती है, तो उस दशा में, परियोजना समिति की प्रबंध समिति स्वत: विघटित हुई समझी जाएगी.''.

धारा १७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में, खण्ड (ग) में, शब्द ''पाइप निकास'' के पश्चात्, शब्द ''या वितरण केन्द्र'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

धारा २३ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २३ में,—

(एक) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ज क) किसी दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली या उसके उपसाधनों को किसी भी प्रकार से नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, चोरी करेगा या जल के प्रवाह में हस्तक्षेप करेगा;'';

(दो) शास्तियों से संबंधित अंतिम पैरा में,—

(क) खण्ड (एक) में, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज)'' के स्थान पर, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज क)'' स्थापित किए जाएं और शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (दो) में, शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

धारा २५ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा २५ में, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज)'' के स्थान पर, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज क)'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1305-17-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ (क्रमांक ५ सन् २०२०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2020

THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Substitution of Section 4.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 8.
7. Amendment of Section 17
8. Amendment of Section 23.
9. Amendment of Section 25.

MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2020

THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 21st January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd January, 2020.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1),-

(i) in clause (c), after the words "by lift irrigation", the words "or by pressurized pipe irrigation system" shall be inserted;

(ii) in clause (e), after sub-clause (iii), the following new sub-clause shall be added, namely:-

"(iv) all structures and accessories relating to pressurized pipe irrigation system distribution centre;";

(iii) after clause (o), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(oa) "pressurized pipe irrigation system" means an irrigation system in which water is pressurized and precisely applied to the plants through a system of pipes;

(ob) "pressurized pipe irrigation system distribution centre" means a civil or mechanical structure from where distribution of water to irrigate a specific water users' area is controlled;".

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "on a hydraulic basis", the words "or distribution centre wise in the case of pressurized pipe irrigation system" shall be inserted.

Substitution of Section 4.

4. For Section 4 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Managing Committee of water users' association.

"4.(1) There shall be a managing committee for every water users' association, which shall consist of a President and one member from each of the territorial constituencies of the water users' area.

(2) The Collector shall make arrangements for the election of President of the managing committee of the water users' association by direct election through the method of secret ballot in such manner as may be prescribed.

(3) The Collector shall also cause arrangements for the election of the members of managing committee through the method of secret ballot in such manner as may be prescribed.

(4) If at an election held under sub-sections (2) and (3), the President or the members of any territorial constituency of water users' association are not elected, fresh election shall be held in such manner as may be prescribed.

(5) If the managing committee of the water users' association does not have a woman member, the managing committee shall co-opt a woman as a member who shall ordinarily be a resident of the farmer's organization area.

(6) The President and the members of the managing committee shall, if not recalled earlier, be in office for a period of five years from the date of appointment of competent authority under sub-section (1) of Section 21:

Provided that on expiry of term of the President and the members of the managing committee, a new managing committee is not constituted, the State Government may, by notification, extend the term of the President and the member of the managing committee for further period of six months from the date of such expiration, recording the reason for extension.

(7) The managing committee shall exercise the powers and perform the functions of the water users' association.

(8) The State Government may, by notification, dissolve the managing committee of water users' association before the period of five years, recording the reasons therefor and the new elections shall be conducted in such manner as may be prescribed.".

Amendment of Section 6.

5. In Section 6 of the principal Act, after sub-section (6), the following new Section shall be added, namely:-

"(7) If the managing committee of the water users' association is dissolved before the period of five years under sub-section (8) of Section 4, in that case the managing committee of the distributary committee shall be deemed to be dissolved automatically.".

Amendment of Section 8.

6. In Section 8 of the principal Act, after sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(6) If the managing committee of the water users' association is dissolved before the period of five years under sub-section (8) of Section 4, in that case the managing committee of the project committee shall be deemed to be dissolved automatically.".

Amendment of Section 17.

7. In Section 17 of the principal Act, in clause (c), after the words "pipe outlet", the words "or distribution center" shall be inserted.

Amendment of Section 23.

8. In Section 23 of the principal Act,-

(i) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ha) destroys, damages, steals or interferes with flow of water in any way to pressurized pipe irrigation system or its accessories.";

(ii) in the last paragraph pertaining to penalties,—

(a) in clause (i), for the bracket and letter "(h)", the bracket and letters "(ha)" shall be substituted and for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the words "rupees five hundred", the words "rupees one thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

9. In Section 25 of the principal Act, for bracket and letter "(h)" the bracket and letter "(ha)" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.